



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180591

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8180 वर्ष 2026

गुलाब सिंह और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : बाल मुकुंद सिंह, श्री प्रकाश मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0140 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 351(3) एवं 109 बी.एन.एस., 2023, थाना टारवा, जनपद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आजमगढ़ में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में आवेदकों को झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) चार नामजद अभियुक्तों तथा लगभग पचास अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है। घायलों में से किसी को भी ऐसी चोट नहीं आई है जिसे जीवन के लिए खतरनाक माना जा सके। विवेचना के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात धारा 109 बी.एन.एस. जोड़ी गई है। उनका तर्क है कि बी.एन.एस. की धारा 109 को छोड़कर, दोषसिद्धि की स्थिति में अन्य किसी भी अपराध में सात वर्ष से अधिक के दंड का प्रावधान नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि पुलिस ने केवल अपराध की गंभीरता बढ़ाने तथा आवेदकों की गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से धारा 109 जोड़ी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच एक सिविल विवाद लंबित है तथा आवेदक गुलाब सिंह और सह-अभियुक्त सुभाष, जो आवेदक का भाई है, के पक्ष में समझौते के आधार पर चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। तथापि, संपत्ति पर कब्जा सूचनादाता और उसके अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा ले लिया गया तथा आवेदकों के सिविल दावे को विफल करने और झूठा मामला तैयार करने के उद्देश्य से ही यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि चार व्यक्तियों को चोटें आई हैं। घायल विवेक के दाहिने रेडियस (अगबाहु की हड्डी) के मध्य-भाग में फ्रैक्चर हुआ है तथा घायल संतोष सिंह के चौथे मेटाकार्पल की आधार-स्थि तथा पाँचवें मेटाकार्पल की दूरस्थ (डिस्टल) छोर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। चोटें गंभीर प्रकृति की हैं तथा बी.एन.एस. की धारा 109 के अंतर्गत अपराध स्पष्ट रूप से बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदकों का दावा है कि पक्षकारों के बीच एक सिविल विवाद है। घायलों में से किसी को भी ऐसी चोट नहीं आई है जिसे जीवन के लिए खतरनाक माना जा सके। घायलों की संख्या और चोटों की संख्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियुक्तों की संख्या के अनुरूप नहीं है। चार नामजद अभियुक्त तथा लगभग पचास अज्ञात व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि वे चाकू, लोहे की छड़ें और लाठियों से लैस होकर पच्चीस मोटरसाइकिलों और दो कारों से घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों के साथ मारपीट की। विवेचना के दौरान एकत्र की गई संपूर्ण सामग्री के परिशीलन से झूठे फंसाए जाने अथवा अधिक संख्या में फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। नामजद अभियुक्त मीरा देवी का नाम विवेचना से निकाल दिया गया है और उसके दो पुत्रों को विवेचना के दौरान अभियुक्त बनाया गया है।

7. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-**गुलाब सिंह और रवि सिंह उर्फ श्रेयश कुमार सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य से हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

कुशल